पत्रांक : सी0एम0ओ0 / निर्माण– ई निविदा / 2026–27 दिनांक 07.05.2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन चिकित्सालयों, व चिकित्सा भवनों आदि की वार्षिक मरम्मत / विशेष मरम्मत लघु निर्माण एवं जल मल कार्यों हेतु अनुभवी निविदादाताओं से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0सं0	संस्था का नाम–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर
1	विभाग द्वारा ई– निविदा अपलोड करने की तिथि व समय	दिनांक 07.05.2026 को सांय 5.00 बजे तक
2	निविदादाता द्वारा प्रपत्रों को अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 24.05.2026 से 30.05.2026 सांय 4.00 बजे तक
3	तकनीकी ई –निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 01.06.2026 को अपरान्ह् 2.00 बजे
4	ई– निविदा वैल्यू	96 लाख रूपये (छियानवे लाख रूपये मात्र)
5	नियमानुसार सिक्योरिटी धनराशि	धनराशि 960000/– रूपये राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में निविदा जारी दिनांक से मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलन्दशहर के नाम बन्धक हो।
6	निविदा की फीस रू0 9600/– (नौ हजार छः सौ रूपये मात्र) + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त	खाता संख्या **182400VS00000015**
		आई0एफ0एस0 कोड– **PUNB0182400**
		बैंक का नाम पी0एन0बी0 डिप्टी गंज, बुलन्दशहर
		एन0ई0एफ0टी0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करनी होगी। (जो वापस देय नहीं होगी)
7	ई– निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर।

निविदायें दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत आमंत्रित हैं। योजना के अनुरूप शर्तें एवं नियम निम्नवत हैं:–

1. जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह होगी केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
2. ई–निविदा खोले जाने से पूर्व धरोहर राशि एवं शपथ पत्र की मूल कॉपी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करनी होगी। मूल कॉपी जमा न होने की दशा में निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा सम्बन्धी जानकारी, विवरण नियम एवं शर्ते डाउनलोड / निविदा में प्रतिभागिता हेतु वेबसाईट पर लॉगिन करें एवं किसी भी प्रकार के संशोधन / विस्तार की सूचना वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जायेगी।
4. उपरोक्त ई– निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बिड की जानकारी सहित विभागीय वेबसाईट– https://bulandshahar.nic.in/ पर उपलब्ध है।
5. निविदा, विभाग में पंजीकृत ठेकेदार को ही विक्रय की जायेगी तथा निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
6. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

पत्रांक : सी0एम0ओ / निर्माण– ई निविदा / 2026–27 दिनांक 07.05.2026

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्त ई– निविदा को विभागीय साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

तकनीकी बिड वित्तीय वर्ष 2026–27

तकनीकी बिड वित्तीय वर्ष 2026–27

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, के आधीन चिकित्सालय भवनों की मरम्मत हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदादाताओं को उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भवन कार्य हेतु न्यूनतम **'बी'** या उच्चतर श्रेणी में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा अथवा आर०ई०डी०, रेलवे, सिंचाई विभाग या किसी राजकीय प्रान्तीय/केन्द्रीय सरकारी विभाग में भवन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के **बी** श्रेणी के समकक्ष या उच्चतर श्रेणी (रूपये 80 लाख के कार्य करने की अर्हता रखता हो) में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। सरकारी निगम/कॉरपोरेशन/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि का पंजीकरण मान्य नहीं होगा।
2. पिछले पांच वर्षो में कम से कम किसी एक वर्ष में पूर्ण शासकीय विभाग में किये गये भवन निर्माण/मरम्मत कार्यो का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर (केवल सिविल कार्य का टर्न ओवर) निविदा की अनुमानित लागत के बराबर होना चाहिए। बिना यू०डी०आई०एन० नम्बर के टर्न ओवर मान्य नहीं होगा।
3. निविदादाताओं को आयकर पैन नम्बर एवं विगत तीन वर्षो की बैंलेस शीट व आयकर रिर्टन शीट सहित जमा करनी होगी।
4. निविदादाता का जी०एस०टी० में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी०एस०टी० नम्बर अंकित करें।
5. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है जो निविदा डालने की दिनांक तक वैद्य हो।
6. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र 40 लाख रूपये का जमा करना अनिवार्य है जो निविदा डालने की दिनांक तक वैद्य हो।
7. तकनीकी निविदा में अर्ह होने के लिए निविदादाता को अनिवार्य रूप से विगत पाँच वर्षो में निविदा मूल्य की एक तिहाई लागत का कार्य (पूर्ण शासकीय विभाग में भवन मरम्मत जलापूर्ति, शौचालय, मरम्मत, लघु निर्माण व अनुरक्षण आदि कार्य) को कराने का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को एक मात्र प्रोपराईटर होने का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदादाता को श्रम विभाग में फर्म का पंजीकरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता के बिलों का भुगतान नियमानुसार आयकर कटौती/लेबर सेस एवं शासन के आदेश के अनुसार अन्य कटौती करके ही किया जायेगा।
11. एक या समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये अधोहस्ताक्षरी की टेण्डर समिति को निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. फर्म या ठेकेदार को जिस दिनांक से कार्य करने का आदेश होगा उस दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्य को प्रारम्भ करना होगा। कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में रू0 500/– प्रतिदिन जुर्माना अधोहस्ताक्षरी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार के बिल से कटौती की जायेगी एवं 15 दिन तक भी कार्य प्रारम्भ न करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ०प्र० लखनऊ आदि से बजट उपलब्ध होने पर ही सम्बन्धित निविदादाता का भुगतान किया जायेगा।
14. निविदादाता को निम्न शपथ पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी कराकर मूल रूप में संलग्न करना होगा।

अ. निविदादाता का कोई भी सगा रिश्तेदार/रक्त सम्बन्धी चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत नहीं होना चाहिये। इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करें।

ब. निविदादाता पूर्व में ही कभी भी सजायाफ्ता या दिवालिया नहीं रहा हो। इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करें।

स. निविदादाता/निविदादाता की फर्म पर किसी प्रकार का कोर्ट केस/सी०बी०आई० जांच नहीं चल रही है। इस आशय को शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

द. निविदादाता/निविदादाता की फर्म पर उत्तर प्रदेश किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट न होने का डिकलरेशन प्रमाण पत्र के साथ ही इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. निविदादाता को सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित करके अपलोड करनी है।
16. निविदादाता द्वारा अपलोड किये गये सभी अभिलेख स्वच्छ एवं पठनीय होने चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. निविदादाता को टेण्डर अनुमोदित होने के एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध व जमानत राशि की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पूर्ण करनी होगी अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
18. निविदादाता को कार्यो की दरें प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग), के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 294 कैम्प/मु०अभि०(भवन)/2023 दिनांक 26.10.2023 (अपलोडिड) के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (DSR 2023) की दरों के सम्बन्ध में किये गये संशोधन के सापेक्ष कार्य की अनुमानित लागत के अनुसार अंकित करनी होगी। निविदादाता उक्त पत्र को ध्यान से पढ़ ले तदानुसार दरें अंकित करें।
19. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैडयूल ऑफ रेट से दरें अधिक होने पर महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा अनुमोदित दर पर ही निविदादाता को कार्य करना होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

20. यह निविदा अनुमोदन होने के उपरान्त दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2027 तक मान्य होगी या अगली निविदा होने तक (जो भी बाद में हो) वैद्य होगी।

21. कार्यो की लागत अनुमानित है। इसमें किसी भी स्तर तक परिवर्तन हो सकता है। इसके लिये निविदादाता क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

22. किसी भी वाद की स्थिति में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर क्षेत्राधिकार होगा।

23. साईट पर अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

24. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को जनपद स्तर पर अपना कार्यालय संचालित कर प्रमाण पत्र देना होगा।

25. निर्माण कार्यो में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य को छोड़कर चले जाने की स्थिति को बचाये जाने के लिए प्रतिशत Below टेण्डर पर कार्य स्वीकृत करने के साथ– साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारन्टी लिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 622/23–12–2012/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक Below होने पर 0.50 प्रतिशत की दर से एवं इससे अधिक Below होने की दशा में नियमानुसार सिक्योरिटी/परफारमेंस गारन्टी जमा करनी होगी।

26. निम्न परिस्थितियों में निविदादाता की निविदा अयोग्य मानी जायेगी–

अ. यदि उसके द्वारा झूठे/गलत प्रपत्र, कथन, अभिलेख, शपथ पत्र या प्रमाण पत्र जमा किये जाते हैं।

ब. यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता का पूर्व में किये गये निर्माण कार्यो में खराब प्रदर्शन है कार्यो में यदि अत्याधिक विलम्ब किया गया है, वित्तीय असफलताएं है, मुकदमेबाजी का इतिहास है तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर बिन्दु संख्या 26अ, 26ब का शपथ पत्र देना होगा।

27. Bill of Quantity पर केवल नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगी।

28. यदि निविदादाता द्वारा दी गई दरें डी0एस0आर0 2023 से कम उल्लिखित की जाती है तो बाजार दरों में भी उतने प्रतिशत कम कर उन मदों का भुगतान किया जायेगा।

29. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के मतभेद अथवा वाद विवाद की स्थिति में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

30. निविदादाता को पत्राचार हेतु व्हाट्स अप नम्बर, ई–मेल आई0डी0, मोबाईल नम्बर आदि लिखना अनिवार्य है।

31. तकनीकी बिड खोले जाने पर यदि एक ही निविदा सफल होती है, तो उस पर अंतिम निर्णय निविदा समिति द्वारा लिया जायेगा।

32. निविदादाता के द्वारा जनपद स्तर पर कार्यालय स्थापित होने पर वरियता प्रदान की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बुलन्दशहर

मेरे द्वारा ई– निविदा के नियम व शर्तो का सम्पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है। मेरे द्वारा ऊपर दिये गये नियम व शर्तो के अनुसार कार्य किया जायेगा। मुझे उपरोक्त समस्त शर्ते एवं नियम मान्य होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम
फर्म का नाम
मो.नं.
ई–मेल

Signature Not Verified
Digitally signed by SUNIL KUMAR DOHARE
Date: 2026.05.07 13:56:34 IST
Location: Uttar Pradesh-UP